ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 103-105

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

विभाजन की त्रादसीः एक स्मरण

डॉ0 रमा भाटिया

असि0 प्रोफेसर– रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर (उ0प्र0) भारत

Received-22.10.2023, Revised-28.10.2023, Accepted-03.10.2023 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांशः भारत की स्वतन्त्रता के 74 वर्ष बाद पहली बार किसी सरकार ने विभाजन की विभीषिका को अधिकारिक रूप से राष्ट्रीय त्रादसी की मान्यता देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष 14 अगस्त 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। 74 साल पहले 14 अगस्त के दिन अखंड भारत के दो टुकडे हुये थे। भारत सरकार ने भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गयी यातना एवं वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को 'विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस' के रूप में घोषित किया है। इस दर्द को याद करते हुये हिन्दुस्तान की आजादी की सालगिरह से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नदेन्द्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। अब हर साल 15 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को 'विभाजन विभिषिका दिवस' के तौर पर याद किया जाएगा। देश का विभाजन कैसे विभिषिका बनी और उसका असर आज भी देखा जाता है, इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को यह खास दिवस मनाया जाएगा।

कुंजीभूत शब्द– विभाजन, त्रादसी, विभीषिका, पीढ़ियों, वेदना, बलिदान, समाजिक विभाजन, वैमनस्यता, सामाजिक सदभाव।

प्रधानमंत्री के ट्वीट कर कहा कि देश के बटँवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिसां की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गवॉनी पड़ी। उन लोगों के सघंर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को 'विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस' के तौर पर याद किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभाजन के कारण हुयी हिंसा और नासमझी में की गयी नफरत से लाखों लोग विस्थापित हो गये और कई ने जान गवा दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस, ''सामाजिक विभाजन, वैमनस्यता के जहर को दूर करने और एकता, सामाजिक सदभाव, और मानव सशक्तीकरण की भावना को और मजबूत करने की आवश्यकता की याद दिलाये।'' उन्होनें आगे कहा, ''यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय सवेदनायें भी मजबूत होगी। ''कहते है कि जो इतिहास को भूल जाते हैं, वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। आजादी के बाद से हमें यही बताया जा रहा है कि विभाजन के समय की विभिषिका को भूल जाओ। इतिहास भी इसी सोच के मुताबिक लिखा और लिखवाया गया जिसका नतीजा आज इस रूप में सामने आया कि आज लोगों में यह कहने का साहस आ गया है कि दो राष्ट्र का सिद्धान्त वीर सावरकर ने किया था, मतलब जिन्ना को दि राष्ट्र सिद्धान्त के दोष से मुक्त कर दिया गया।

''हिन्दु और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र है। उनके धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति रिवाज और साहित्य पृथक–पृथक हैं। वे आपस में विवाह नहीं करते, भोजन नहीं करते और वास्तव में ऐसी पृथक–पृथक सभ्यताओं से सम्बन्ध रखते हैं, जिनका आधार एक दूसरे की विरोधी विचारधारा है। उनके राष्ट्रीय नेता पृथक–पृथक हैं और उनका इतिहास तथा परम्पराएँ भी पृथक–पृथक है। अतः इस उपमहाद्वीप में शान्ति स्थापित करने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हैं कि इसको बाँटकर पाकिस्तान की स्थापना की जाए। ''मौहम्मद अली जिन्ना के द्वारा व्यक्त किए गये ये विचार साम्प्रदायिक भावना के प्रतीक थे। अग्रेजों ने इस भावना को निरन्तर प्रोत्साहन दिया जो भारत विभाजन का मुख्य कारण बना।[1]

डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड में लिखा है कि मुसलमानों के लिए अलग देश की मागँ सबसे पहले इकबाल ने 1930 में की थी। दिसम्बर 1930 में इलाहाबाद (प्रयागराज) में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होनें कहा था, ''इस्लाम का जो धार्मिक आदर्श है, वह उसकी बनायी सामाजिक व्यवस्था से जैविक रूप से जुड़ा है। एक को अस्वीकार करने का मतलब है दूसरे को भी अस्वीकार करना। इसलिए इस्लाम की एकजुटता के आदर्श को नकार कर राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनीति किसी भी मुसलमान के लिए अकल्पनीय हैं भारत राष्ट्र राज्य की एकता की कोशिश इस्लाम के इस सिद्धान्त के अस्वीकरण से नंही बल्कि परस्पर समन्वय और सहयोग के आधार पर की जानी चाहिए। ''उन्होनें आगे लिखा है, ''दुख की बात है कि आंतरिक समन्वय की हमारी खोज नाकाम रही है, यह खोज नाकाम इसलिए हुयी क्योंकि शायद हम एक–दूसरे के इरादों को सदेंह की नजर से देखते हैं और अन्दर से एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं।[2]

कई इतिहासकारों का मानना है कि 1946 के बाद जब साम्प्रदायिक हिसां नियत्रणं से बाहर हो गयी, तो विभाजन के अलावा कोई विकल्प नंही रह गया। इस बात से इन्कार नंही किया जा सकता, कि अग्रेजी हुकूमत ने भी स्थिति को बद से बदतर बनाया। माउंटबेटन और रेडम्लिक ने बटँवारे के मामले में बहुत जल्दबाजी दिखायी। पहले भारत की आजादी के लिए जून 1948 तय किया गया था, माउंटबेटन ने इसे खिसका कर अगस्त 1947 कर दिया जिससे भारी अफरा–तफरी फैली और असख्य लोगों की जाने गयी। यह सचमुच चौंकाने वाली बात है कि ऐसी भीषण त्रादसी जिसमें करीब बीस लाख लोग मारे गये और डेढ़ करोड़ लोगों का पलायन हुआ, उसे भारतीय चिन्तन और स्मृति पटल से या तो मिटाने का प्रयास किया गया या फिर इसके प्रति जानबूझकर उदासीनता बरती गयी। इस त्रादसी के घाव इतने गहरे हैं कि देश के बहुत बड़े हिस्से खासकर पजांब और बगांल में बुजुर्ग लोग 15 अगस्त को सिर्फ विभाजन के रूप में ही याद करते है।[3]

देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओ से लिखी गयी है। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के दो

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

टुकड़े किये गये बल्कि बगांल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो यह एक देश का बटँवारा था लेकिन दरअसल यह दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बटँवारा था। भारत माँ के सीने पर बटँवारे का यह जख्म सदियों तक रिसता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक और रक्तरजिंत दिन की टीस महसूस करती रहेगीं। भले ही भारत को आजादी मिल गयी, लेकिन इसकी कीमत करोड़ो लोगों को अपने करीबियों से दूर रहकर चुकानी पड़ी।

बटँवारे की त्रादसी का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान करीब बीस लाख लोग मारे गये। 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुये। बटँवारे का दर्द लेकर 12.5 लाख शरणार्थी भारत में आये। इस दौरान सबसे दिल दहलाने वाली घटनायें महिलाओं के साथ हुयी। बटँवारे के दौरान अनुमान के अनुसार एक लाख महिलाओं के साथ रेप हुआ।

ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को प्रक्रिया को ठीक से नहीं सम्भाला। देश में शान्ति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नयी सरकारों के सर पर आयी। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि बहुत से लोग इधर से उधर जायेगें। दोनों देशों की नयी सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबन्ध नहीं था। फलस्वरूप दगें हुये और बहुत से लोगों की जानें गयी। स्थान–स्थान पर लूटपाट अपहरण और हत्यायें हुयी।

रेलगाड़ियाँ चल तो रही थी, परन्तु भीड़ इतनी अधिक थी कि लोग रेलगाड़ियों को छतों पर बाल बच्चों समेत बैठने को मजबूर थे। छतों पर बैठे कितने ही लोग पटरियों के पास बैठे पाकिस्तानी दरिन्दों की गोलियों का शिकार होते रहे। परिवार के परिवार मौत के घाट उतार दिये गये। अनेक महिलाओं ने कुओं में छलागें लगाकर या घर, गुरूद्वारा या मन्दिर में आग लगाकर भस्म हो कर अपने सम्मान की रक्षा की थी।

यह लम्बे समय तक सुप्त भारतीय चेतना और राजनीतिक निर्बलता का ही परिचायक है कि जो त्रादसी मानव इतिहास में सबसे बड़े पलायन की वजह बनी, उसकी न तो कोई औपचारिक स्मृति बनी और न ही कोई स्मारक। इसके विपरीत विश्व के अन्य देशों में छोटी–छोटी त्रादसियों को सामुहिक चेतना में जीवित रखने के हर सम्भव प्रयास होते रहे है। यहूदियों ने द्वितिय विश्व युद्ध में हुये नरसंहार की स्मृतियों को सहेजने के लिए अमेरिका से लेकर इजराइल तक स्मारक बना रखे है। जर्मनी और पोलैण्ड में यातना शिवरों को स्मारक के रूप में बदल दिया गया है।

नाजी सेना के हाथों बड़े पैमाने पर हुये यहूदी नरसंहार को याद करते हुये विश्व के तमाम देश 27 जनवरी का दिन होलोकास्ट रिमेंब्रेंस डे के रूप में मनाते है। इसी तरह दो अगस्त भी द्वितिय विश्व युद्ध में हुये रोमा जनजाति के सामुहिक नरसंहार की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वंही जापान सेना द्वारा किये गये नानजिंग नरसहांर की स्मृतियो को चीन हर वर्ष 13 दिसम्बर के दिन याद करता है। आर्मेनिया से लेकर कंबोडिया और खांडा से लेकर ग्रीस तक प्रत्येक समाज अपने नरसहारों को पूरी गम्भीरता से याद रखता है। सभी ने इसके लिए स्मृति दिवस निर्धारित किये हुये हैं। इन प्रयोजनों का आशय विभीषिका की क्रूरता में दिवंगत हुयी आत्माओं को श्रद्धाजंली देने के साथ ही उन राजनीतिक शक्तियों एवं वैचारिक प्रेरणाओं के प्रति सजगता बनाये रखना भी होता है जो समाज के लिए पुनः खतरा बन सकती हैं।[4]

भारत का विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं। इसका दर्द आज भी देश को झेलना पड़ रहा है। भारत का बटँवारा हुआ लेकिन शन्तिपूर्ण नहीं। भारत की आजादी को इस रूप में देखा जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति को सालों से जजींरो से बाधाँ रखा जाये और जब उसकी जंजीरे खोली जाये तो इसके साथ ही उसके दोनों हाथ भी काट दिये जायें, तो यह किस प्रकार की आजादी कही जायेगी। इस ऐतिहासिक घटना ने कई खूनी मंजर देखे। कह सकतें है कि भारत का विभाजन सबसे खूनी घटनाक्रम का दस्तावेज बन गया जिसे हमेशा उलटना–पलटना पड़ता है। दोनों के बीच बटँवारे को लकीर खिचते ही रातों रात लाखों लोग अपने ही देश में बेगाने और बेघर हो गये।

धर्म–मजहब के आधार पर लाखों लोग न चाहते हुये भी इस पार से उस पार जाने को मजबूर हुये। इस अदला–बदली में लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। कातिलाना हमले में जो लोग बच गये, उनकी जिन्दगी हमेशा के लिए तहस–नहस हो गयी। विभाजन की यह घटना सदी की सबसे बड़ी त्रादसी में बदल गयी। यह किसी देश की भौगोलिक सीमा का बटँवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भवनाओं का भी बटँवारा था।

एक सालाना उत्सव के तौर पर हम 15 अगस्त मनाते हैं, कुछ नेताओं की बड़ी–बड़ी उपलब्धियों की चर्चा करते है लेकिन क्या कभी हमने चर्चा की कि बगांल, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर, हैदराबाद और दूसरे पाकिस्तान के शहरों और गाँव में रहने वाले लाखों प्रताड़ित लोगों ने अगले दिन कैसी आजादी मनायी होगी। एक देश के रूप में क्या हम इतने विभाजित हैं कि उन परिवारों के दर्द में शामिल होने का फर्ज भी भूल गये।

यह विभाजन की विभीषिका पर लगातार बन रही उदासीनता का ही परिणाम है कि वंदे मातरम् का विरोध और मजहबी आधार पर आरक्षण जैसी मांगे स्वतन्त्रता के 74 वर्ष बाद फिर मुखर हो चली हैं, जो विभाजन का कारण बनी थी। राष्ट्र जीवन में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान भी अब आम हो चला है।[5]

एक छोटी सी घटना की जिम्मेदारी तय करने के लिए बड़े–बड़े आन्दोलन हो जाते हैं। फिर इतिहास की इतनी बड़ी त्रादसी की जिम्मेदारी किसकी थी, यह तो लोगों को पता चलना ही चाहिए। इसका मकसद यह नहीं है कि इसके आधार पर किसी से बदला लिया जाये। यदि आप किसी भी त्रादसी का समापन चाहते हैं तो पहले पूरी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी।[6] विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मात्र घटनाओं को याद करने का अवसर नहीं है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

इससे वे हिसंक और असहिण्णु विचारधारा भी कठघरे में खड़ी होती है, जो इन त्रादसियों का कारण बनती हैं। विभीषिकाओं की स्मृति हमें निरन्तर याद दिलाती है कि भावनाओं को भड़काकर कैसे बड़ी–बड़ी त्रादसियाँ छोटे से समय में राष्ट्र को झकझोर सकती हैं। ऐसे अभिप्राय जनमानस को पूछने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या विभाजन जैसी विभीषिका से देश को पर्याप्त सबक मिले या नहीं। केवल आत्म अवमानित या मृतप्राय समाज ही विभीषिकाओ को भुला सकते हैं। जीवंत समाजों से ऐसी उपेक्षा नंही की जा सकती।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, एल0पी0, ''आधुनिक भारत'', पृष्ठ स0 448.
2. सिंह, प्रदीप, ''जरूरी है विभाजन की त्रादसी का स्मरण'', दैनिक जागरण, 19 अगस्त 2021.
3. त्रिपाठी, मुनीष, ''विभाजन की त्रादसी'', पृष्ठ सं0 107, प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. सारस्वत, विकास, ''आवश्यक है विभाजन विभीषिका का स्मरण'', दैनिक जागरण, 26 अगस्त 2021.
5. सारस्वत, विकास, ''आवश्यक है विभाजन विभीषिका का स्मरण'', दैनिक जागरण, 26 अगस्त 2021.
6. सिंह, प्रदीप, ''जरूरी है विभाजन की त्रादसी का स्मरण'', दैनिक जागरण, 19 अगस्त 2021.

*****